भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

NOTARIAL

CANCELLED

पवन कुमार
उप कोषाधिकारी
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 618364

3/9/23

NOTARY नोटरी
GOVT. OF UTTAR PRADESH
Radhey Mohan Ojha
Notary H.Q. Jaunpur
S.N.27 (90) 2001

3/9/23

3/9/23

(प्रारूप–"अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप

हम अनीता देवी (नाम अध्यक्ष) एवं (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा (संस्था का नाम एवं पता) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम (पता जहां पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 629, 641, 649, 35 एवं रकबा क्रमशः 1.123, 0.085 एवं 0.1200 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.167 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 629, 649 641 एवं 35 रकबा क्रमशः 1.123, 0.085 एवं 0.1200, 0.0740 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.167 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 19.2.23 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

NOTARY नोटरी GOVT. OF UTTAR PRADESH
Radhey Mohan Ojha
Notary H.Q. Jaunpur
S.N. 27 (18) 2001

अनीता देवी

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मे मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एव सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एव मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।

13. मै घोषणा करता/करती हू कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

5/5/23

... before me ... Notaries Act 1952 in
Between the hour of ... AM ... PM
on the day of ... Month ... Year ... deponent
Name ... identified
by ... Adv. the contents of the
Affidavit were read out and Explained
to deponent who has admitted them to be true

Radhey Mohan Ojha
Advocate Notary
District Jaunpur

5/5/23

NOTARY नोटरी
Radhey Mohan Ojha
Notary H.Q. Jaunpur
S.N. 27 (39) 2001
Jaunpur
GOVT. OF UTTAR PRADESH